रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229934
CG-DL-E-24092021-229934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943
No. 545] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

सं. 4/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 662(अ).—जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "कॉइल के रूप में एल्यूमीनियम तार/कॉइल के रूप में वायर रॉड जिसका व्यास 9 मिमी से 13 मिमी तक होता है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7601 10 40, 7601 20 40, 7604 10 10, 7604 29 20, 7605 11 00 और 7605 21 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/23/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं किः-

i. विषयगत माल भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया है, जिसके कारण यहां इन आर्थिक सहायता प्राप्त उत्पादों की भरमार हो गई है।

ii. विषयगत माल को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है ।

iii. यह भारी क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है ।

और उस पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) पर उस दर की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्ककी राशि, सीआईएफ मूल्य के **%** के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7601 10 40, 7601 20 40, 7604 10 10, 7604 29 20, 7605 11 00 और 7605 21 00	कॉइल के रूप में एल्यूमीनियम तार/कॉइल के रूप में वायर रॉड जिसका व्यास 9 मिमी से 13 मिमी तक	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई अन्य देश	प्रेस मेटल बिन्तुलू एसडीएन. बीएचडी.	6.8669%
2.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई अन्य देश	प्रेस मेटल एल्यूमीनियम रॉड्स एसडीएन. बीएचडी.	6.8669%
3.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया से सहित कोई अन्य देश	उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई भी उत्पाद	16.4874%
4.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	16.4874%

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है) तो लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/185/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

ज. स. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

No. 4/2021-Customs (CVD)

G.S.R. 662(E).—Whereas, in the matter of "Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 7601 10 40, 7601 20 40, 7604 10 10, 7604 29 20, 7605 11 00 and 7605 21 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from, Malaysia (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/23/2020-DGTR, dated the 28th June, 2021 has come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from subject country at subsidised value, thus resulting in subsidisation of the product;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidisation of the subject goods;

(iii) the material injury has been caused by the subsidised imports of the subject goods originating in or exported from the subject country,

and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), countervailing duty at the rate mentioned in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading/Sub Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as a % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7601 10 40, 7601 20 40, 7604 10 10, 7604 29 20, 7605 11 00 and 7605 21 00	Aluminium Wire in coil form /Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9mm to 13mm	Malaysia	Any country including Malaysia	Press Metal Bintulu Sdn. Bhd.	6.8669%
2.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Press Metal Aluminium Rods Sdn. Bhd.	6.8669%
3.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than producers mentioned in S. No. 1 and 2 above	16.4874%

4.	-do-	-do-	Any Country other than Malaysia	Malaysia	Any	16.4874%

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

[F. No. CBIC-190354/185/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.24 22:53:36 +05'30'